भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 410
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र के लिए आपदा राहत और विशेष सहायता

410. श्री संजय राउत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के लिए महाराष्ट्र को जारी आपदा राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अपर्याप्त रही है, जबकि महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकोष में सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाले राज्यों में से एक है; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र के लिए एक विशेष कृषि एवं अवसंरचना पैकेज की घोषणा पर विचार कर रही है, ताकि बार-बार आने वाली बाढ़ और अप्रत्याशित वर्षा से प्रभावित पुनर्वास, फसल पुनर्प्राप्ति तथा ग्रामीण अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान की जा सके?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पास पहले से उपलब्ध एसडीआरएफ से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्यों को उनके प्रयासों में मदद करने के लिए हर संभव लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि स्थिति से प्रभावकारी ढंग में निपटा जा सके। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 410, दिनांक 03/12/2025

दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए। पैकेज के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की मौजूदा योजना के तहत, प्रभावित राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रत्येक राज्य सरकार के लिए एसडीआरएफ का आवंटन, पुरस्कार अवधि के लिए समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है।

राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंतर्गत 4,176.80 करोड़ रुपये की राशि (3,132.80 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश + 1,044.00 करोड़ रुपये का राज्य अंश) का आवंटन किया गया है। केंद्रीय अंश की 1,566.40 करोड़ रुपये की दोनों किश्तें क्रमश: दिनांक 17.09.2025 और 22.10.2025 को राज्य सरकार को जारी कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार अपने एसडीआरएफ खाते में 1631.50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष बताया है।

****